



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 01 May, 2023

PGCIL/R/E/23/00126

Shri Shailender Sharma,
Near Kirty Stumbh Nagar Nigam Road, Bikaner-334001 Rajasthan

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 5 April, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571960

धन्यवाद,

भवदीय,

फिका-1-C
01/05/2023

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री शैलेंद्र शर्मा, बीकानेर, राजस्थान के आर.टी.आई. आवेदन का जवाब

(आर.टी.आई. रजि0 सं0: PGCIL/R/E/23/00126)

क्रमांक	मांगी गई सूचना:	पावरग्रिड का जवाब:
1)	<p>कॉरपोरेट कार्यालय के मानव संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र 515/2021 दिनांक-27 अक्टूबर 2021 के एन्नेकजर 01 के डिफिकल्ट लोकेशन इन केटेगरी 01 दी गई है। कृपया सूचना के अधिकार 2005 के तहत, उन मापदण्डों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर डिफिकल्ट लोकेशन इन केटेगरी 01 का निर्धारण किया गया है।</p> <p>अगर चाही गई सूचना आपके कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है तो कृपया आर.टी.आई. की धारा 6 (3) की अनुपालना सुनिश्चित करें।</p>	<p>मांगी गई सूचना, पावरग्रिड की बौधिक संपदा से संबंधित है, अतः इस प्रकार की सूचना को प्रकट किए जाने की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत छूट है।</p>

विक्रम
01/05/2023